(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या 6 **नई दिल्ली 11 जनवरी, 2010**

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 और 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा नए सैमी मैकेनाइज्ड क्लाज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम के द्वारा कोयले के प्रहस्तन करने के लिए, दर निर्धारण करने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण संख्या. टीएएमपी/34/2009-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास **आवेदक**

आदेश
(नवंबर, 2010 के 10 वे दिन पारित)

यह प्रकरण नए सैमी मैकेनाज्ड क्लोज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम द्वारा कोयले के प्रहस्त के लिए दर निर्धारण करने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 चेन्नई पत्तन न्यास ने अपने पत्र दिनांक 11 सितंबर,2009 के द्वारा नए सैमी मैकेनाइज्ड क्लोज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम के द्वारा कोयले का प्रहस्तन करने के लिए कोयला प्रबंधन करने के लिए 20 रूपये प्रति मैट्रिक टन की दर निर्धारित करने हेतु एक प्रस्ताव दाखिल किया । सी एच पी टी ने यह भी सूचित किया कि वह दरमान में समाविष्ट उपबंध के अनुसार प्रस्तावित दर तदर्थ के आधार पर प्रचालित करेगा ।

2.2 चूँकि सीएचपीटी के द्वारा दाखिल प्रस्ताव उपकरण पर प्रशुल्क निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रारूप में नहीं था और दरमान मसौदा में प्रस्तावित दरों को लागू करने की शर्तें भी मौजूद नहीं थी । सीएचपीटी का प्रस्ताव, दिनांक 25 सितंबर 2009 के द्वारा कुछ प्रश्नों के साथ लौटा दिया गया और अनुरोध किया गया कि प्रस्ताव को अपेक्षित विवरणों के साथ दोबारा प्रस्तुत किया जाए । पत्तन को यह सलाह भी दी गई कि वह उन सेवाओं के लिए तदर्थ दर निर्धारित करने के लिए जो अनुबंध करती हैं कि तदर्थ दरें समतुल्य सेवाओं के लिए वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर परिभाषित होनी चाहिए और उन पर पत्तन और उपयोग कत्ताओं के बीच परस्पर, सहमति होनी चाहिए, सीएचपीटी के दरमान के प्रावधानों का अनुपालन करें ।

3. इसके प्रत्युत्तर में, सीएचपीटी ने अपने पत्र संख्या टी2/14130/2009/एफ आर दिनांक 31जुलाई, 2010 के द्वारा निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वह रू. 44/- प्रति मी.ट. की दर निर्धारित कर दे , संशेधित प्रस्ताव के साथ, दिनांक 25 सितंबर 2009 के हमारे पत्र के माध्यम से हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी थें। संशोधित प्रस्ताव को **प्रशुल्क प्रकरण** के रूप में पंजीकृत किया गया और अधिकतम 19 सितंबर, 2010 तक अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर देने हेतु, संबंधित उपयोगकर्ताओं को परिचालित किया गया ।अभी तक हमें किसी भी उपयोगकर्ता से किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई हैं। इसलिए, इस मामले में संयुक्त सुनवाई आयोजित नहीं की गई ।

4.1 संयोगवश, सीएचपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए एक प्रस्ताव सितबंर 2008 में दाखिल किया था। तदनन्तर, अगस्त 2009 के दौरान सीएचपीटी ने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया एवं जून 2010 में इसे अद्यतन किया ।

4.2 सैमी मैकेनाइज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम के प्रचालन के लिए प्रशुल्क निर्धारण करने हेतु पत्तन के प्रारंभिक प्रस्ताव के संदर्भ से पूछे गए, हमारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर में, सीएचपीटी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि इस सेवा से प्राप्त आय 20 रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आय अनुमानों में शमिल किया गया है। यद्यपि सी एच पी टी ने इस गतिविधि के लिए एक अलग प्रस्ताव दाखिल किया था । इसने अपने संदर्भित दरमान की सामान्य ाान्य संशोधन के लिए जून, 2010 के अपने अद्यतन प्रस्ताव में इस गतिविधि से संबंधित आय और व्यय को शामिल किया है।

4.3 सीएचपीटी के द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। सामान्य संशोधन की कवायद में , समग्र रूप में पत्तन की वित्तिय /लागत स्थिति के व्यापक आकलन में, इस सुविधा में उत्पन्न होने वाली , वर्ष 2009-10 की वास्तविक आय और वर्ष 2010-11 से 2010-13 की अनुमानित आय के साथ-साथ, इन वर्षों में इस सुविधा के प्रचालन पर वास्तविक एवं अनुमानित व्यय पर विचार किया गया है। चूँकि सामान्य संशोधन प्रस्ताव में विचार की गई वास्तविक एवं अनुमानित वित्तिय/ लागत स्थिति में वर्ष 2009-10 से सेमी-मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग सिस्टम से संबंधित आय और व्यय दोनो शामिल हैं, इस सुविधा के लिए भी दरमान में रू.20/- मी.टन. पर एक दर निर्धारित है जो आय अनुमान में विचार की गई दर की बराबर है।

5. उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर नए सेमी मैकेनाइज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम के लिए दर निर्धारण करने के लिए सीएचपीटी के द्वारा दाखिल अलग प्रस्ताव आनावश्यक हो जाता है और इसलिए प्रकरण को बंद किया जाता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष